निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 51/2014
दायरा दिनांकः–08.10.2014
निर्णय दिनांकः– 23.12.24

उनवान

भैरूलाल (भगवतीप्रसाद) आत्मज नारायणलाल उर्फ रामनारायण जाति धाकड निवासी कडैयावन तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांकः– 23.12.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया– प्रार्थी
2. श्री ....

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा वाके माल ग्राम रीछडा खसरा नम्बर 805 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 806 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 808/1 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके माल ग्राम बारई एवं भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 444 रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा ,खसरा नम्बर 445 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके माल ग्राम कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी जमाबन्दी वर्तमान में रेवेन्यू रिकार्ड में वादी भैरूलाल (भगवती प्रसाद) आत्मज नारायणलाल उर्फ रामनारायण जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. अंकित है। उक्त आराजी वाके ग्राम माल बारई,रिछडाव कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थी एवं उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद आत्मज नारायणलाल उर्फ रामनारायण जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. त्रुटी पूर्वक अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी एवं उसके पिता का वास्तविक सही नाम व पिता का नाम भैरूलाल आत्मज नारायण उर्फ रामनारायण जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबउा जिला बांरा राज. है। प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम भैरूलाल आत्मज नारायण उर्फ रामनारायण जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. है तथा प्रार्थी को इसी नाम से जाना–पहचाना जाता है। तथा इसी नाम पता का राशनकार्ड एवं प्रमाण पत्र जो पंचायत कडैयाबन से जारी हो रहा है तथा इसी नाम पते का पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हो रहा है। प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम भैरूलाल आत्मज नारायण उर्फ रामनारायण जाति धाकड

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने बाबत् राजस्व कर्मचारियों से सम्पर्क किया तो बाद में आने की बात कही अन्त में अदालत में कार्यवाही करने को कहां। प्रार्थी व उसके पिता का सही नाम दुरूस्त नही होने से प्रार्थी को अपनी भूमि के विकास व ऋण आदि में आऐ दिन परेशानी होती है। गलत नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने को साफ इन्कार होने व अदालत में कार्यवाही करने को कहां। इसलिए माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा। रेवेन्यू रिकार्ड विवादित आराजी में प्रार्थी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज है खातेदार भगवती प्रसाद आत्मज नारायण उर्फ रामनारायण जाति धाकड निवासी कडैयाबन तहसील छबडा जिला बारां राज. के नाम को कोई भी व्यक्ति प्रार्थी के अलावा मोजुद नही है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी में अपने सही नाम पते खातेदारी के स्थान पर दर्ज कराने का कानूनी अधिकारी है। जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायोचित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं उसके पिता का वास्तविक सही नाम व पिता का नाम दर्ज नही होने पर अकारण ही प्रार्थी को अकारण कई प्रकरणों में उलझना पडेगा। परिणामरूवरूप प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है।

वादी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 161 नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2078–71 खाता सख्या 187 नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 293 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 384 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 430 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2070--73 खाता संख्या 372 फोटो प्रति परिवार राशनकार्ड,पहचान पत्र भैरूलाल पेश किया गया।

बहस अभिभाषक सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा,बारई, एवं कडैयाबन तहसील छबडा में स्थित है जिसमें जिसमें भैरूलाल और भगवती प्रसाद पुत्र नारायणलाल ओर रामनारायण जाति धाकड दर्ज है तीनों गांव की भूमि (राजस्व रिकार्ड) में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम भगवती प्रसाद पुत्र रामनारयण दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी व प्रार्थी का सही नाम भैरूलाल पुत्र नारायणलाल है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में भी भैरूलाल पुत्र नारायणलाल दर्ज है प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत इंकित होने से राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता से वंचित रहा जाता है कडैयाबन की जमाबन्दी खाता संख्या 384 में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का सही नाम भैरूलाल पुत्र नारायणलाल दर्ज है शेष खातों में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 161,187 में भगवती प्रसाद पुत्र रामनारायण दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बारई सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 293 में भी भगवती प्रसाद पुत्र रामनारायण दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 384 में भैरूलाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पुत्र नारायणलाल दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 372 में भगवती प्रसाद पुत्र रामनारायण दर्ज है इससे सह साबित होता है कि प्रार्थी का नाम तीनों गांव की जमाबन्दीयों में भगवती प्रसाद पुत्र रामनारायण दर्ज है जबकि प्रार्थी के खाते की एक जमाबन्दी ग्राम कडैयाबन सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 384 में भैरूलाल पुत्र नारायणलाल दर्ज है ग्राम पंचायत कडैयावन के प्रमाण पत्र में दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया गया है तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम कडैयावन की खाता संख्या 377,437 में दर्ज खातेदार भगवती प्रसाद पुत्र रामनारायण उर्फ नारायण के स्थान पर भैरूलाल पुत्र रामनारायण उर्फ नारायण दर्ज करवाना चाहता है जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 389 के अनुसार प्रार्थी का नाम भैरूलाल पुत्र नारायणलाल उक्त व्यक्ति का नाम बताया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 जमाबन्दी सम्वत् 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी की खाता संख्या 389 के अनुसार खाता संख्या 377,437 में प्रार्थी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर भैरूलाल पुत्र रामनारायण उर्फ नारायणलाल दर्ज किया जाना उचित होना बताया है। प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार छबडा एवं दस्तावेजों से यह साबित होता है कि प्रार्थी को भैरूलाल व भगवती प्रसाद पुत्र रामनारायण व नारायणलाल दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा के खसरा नम्बर 173 रकबा 11.19 बीघा खसरा नम्बर 267 रकबा 13.11 बीघा ग्राम बारई के खसरा नम्बर 805 रकबा 6.01 बीघा खसरा नम्बर 806 रकबा 2.09 बीघा खसरा नम्बर 808/1 रकबा 1.16 बीघा एवं ग्राम कडैयाबन के खसरा नम्बर 444 रकबा 32.12 बीघा खसरा नम्बर 445 रकबा 2.14 बीघा में दर्ज भगवती प्रसाद पुत्र रामनारयण के स्थान पर भैरूलाल उर्फ भगवती प्रसाद पुत्र नारायणलाल उर्फ रामनारयण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)